

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1023
जिसका उत्तर दिनांक 08.02.2023 को दिया जाना है

परमाणु ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी

1023. कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या ऊर्जा की बढ़ती मांग और लागत को देखते हुए सरकार का परमाणु ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाने के लिए कोई पहल की है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह) :

- (क) जी, हां।
- (ख) सरकार ने 7000 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 10 नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अलावा, 8700 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 11 रिएक्टर निर्माण/कमीशनन के विभिन्न चरणों में हैं (काकरापार परमाणु बिजलीघर-3 जिसे ग्रिड से जोड़ दिया गया है और भाविनि सहित)।
- (ग) व (घ) जी, नहीं। वर्तमान नीति परमाणु ऊर्जा को निषिद्ध क्षेत्रों की श्रेणी में रखती है। भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए वर्ष 2015 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में संशोधन किया है जिससे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संयुक्त उद्यम सक्षम हो सके।